समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री बमभोला यादव, स्व0 कुंजी लाल यादव, ग्राम चन्दनपट्टी पो0+थाना- गम्हरिया, जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन देकर सूचित किया है कि इनके नाम से दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-01/2000(गम्हरिया थाना) पर धारित शस्त्र सं0-49395ए. एवं एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-01/98(गम्हरिया थाना) पर धारित शस्त्र सं0-ए. बी. 993096 निर्गत है। इन्होंने अंकित किया है कि तीन माह पूर्व से ही पेट संबंधी जटिल रोग से ग्रसित रहने एवं अपनी बीमारी की समुचित ईलाज हेतु स्थानीय/पटना के चिकित्सकों से ईलाजरत रहने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्रों का सत्यापन एव नवीकरण नहीं करवाया जा सका है। इन्होंने अपने ईलाज से संबंधित चिकित्सीय पूर्जा की छायाप्रति, विहित प्रपत्र में बायोडाटा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त कर नवीकरण कराये जाने अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 120/शस्त्र, 121/शस्त्र, 122/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में बायोडाटा समर्पित नहीं करने के कारण शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत तीन शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ यथा एन.पी.बोर.रायफल अनुज्ञप्ति सं0-01/98(गम्हरिया थाना), दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-01/2000(गम्हरिया थाना), एन.पी.बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-02/2000(गम्हरिया थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में मात्र दो शस्त्रों की अनुज्ञप्तियाँ यथा (1) अनुज्ञप्ति सं0-01/98 एवं 01/2000 अंकित किया है एवं अनुज्ञप्ति सं0-02/2000 के विषय में कोई प्रतिवेदन अंकित नहीं है। बायोडाटा में अपना उम्र 65 वर्ष से अधिक अंकित किए हैं। उक्त प्रपत्र पर चिपकाए गए फोटो से ही स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी काफी उम्र-दराज हो गए हैं तथा प्रायः बीमार रहा करते हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उक्त शस्त्र का रख-रखाव किया जाना असंभव प्रतीत होता है एवं दुरूपयोग किए जाने की पूर्ण संभावना है। कई बार भौतिक सत्यापन हेतु तिथि निर्धारण किए जाने के वावजूद भी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करायें हैं। अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अपने बायोडाटा में पूर्व से प्रदत्त रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-02/2000(गम्हरिया थाना) को अंकित नहीं कर छिपा लिया गया है, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंघन है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत तीन शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ यथा एन.पी.बोर.रायफल अनुज्ञप्ति सं0-01/98(गम्हरिया थाना), दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0- 01/2000(गम्हरिया थाना), एन.पी.बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-02/2000(गम्हरिया थाना) को रद्द किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी श्री बमभोला यादव, स्व0 कुंजी लाल यादव, ग्राम चन्दनपट्टी पो0+थाना- गम्हरिया, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना तीनों मूल शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं धारित शस्त्र गम्हरिया थाना मालखाना में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री यादव द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मूल अनुज्ञप्ति पंजी पर " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Sd/- 12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 90 /शस्त्र, दिनांक 12-03-2014.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, गम्हरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री बमभोला यादव, स्व0 कुंजी लाल यादव, ग्राम चन्दनपट्टी, पो0+ थाना- गम्हरिया, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Sd/- 12/03/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।